



मुख्यमंत्री विशुक्त मंत्रालय

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

ई-मेल rnsc.mhvj@gmail.com

दूरभाष: 0141-2224878
एफ040) एम्एनजेवाई / न्यायालय प्रकरण / 2015-16 /

332

दिनांक 21/11/15

अति-आवश्यक

प्रथम स्तरण पत्र

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट को चिकित्सा संस्थानों को हस्तांतरित किये जाने व माहवार व्यय विवरण भिजवाने के संबंध में।

संदर्भ:- वित्तीय सलाहकार मुख्यालय के पत्रांक 26 दि0 20.04.2015 एवं पत्रांक 260 दि0 04.06.2015 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री विशुक्त जांच योजना अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में आपके कार्यालयों के चिकित्सा संस्थानों हेतु सालानानुसार बजट विभिन्न मदों से हस्तांतरित किया गया है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस बजट राशि को नियमानुसार सम्बन्धित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को हस्तांतरित करावे।

साथ ही वर्ष 2015-16 में इन चिकित्सा केन्द्रों में एनजीओ/संविदा के आधार पर रखे गये कर्मिको (एलटी, एलटी, आरजी, एआरजी, हैल्पर, गार्ड आदि) का विवरण संलग्न प्रपत्रानुसार संकलित कर इस कार्यालय को भिजवाये।

इसके अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन चिकित्सा केन्द्रों में उपलब्ध जांच मशीनों के लिये कन्स्यूमेबल, रिजल्ट्स, स्टेशनरी आदि के क्रय हेतु संबंधित को निर्देशित करें एवं जोन के बायोमेडिकल इंजीनियर को इन उपकरणों का परीक्षण करवाकर इनकी AMC/CMC किया जाना भी सुनिश्चित करावे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वा10)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. सभी संयुक्त निदेशक (जोन) को भेजकर लेख है कि आप अपने जोन के अधीन चिकित्सा केन्द्रों में उपरोक्तानुसार दिशे गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे तथा अटोहस्ताक्षरकर्ता को 15 दिवस में तत्स्थायत्मक रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करे।
3. प्रभाषी सर्वर रूम को पत्र विभागीय वेबसाइट पर एवं संबंधित को मेल हेतु प्रेषित।
4. सक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा10)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

